विषय सूची

पैरा सं.	विवरण
1	निदेशो/अनुदेशों की प्रयोज्यता
2	परिभाषाएँ
3	पंजीकरण और उससे संबंधित मामले
4	स्वाधिकृत निधि
5	स्वीकार्य कारोबार
6	आस्ति पुनर्निमाण
7	प्रतिभूतिकरण
8	पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा
9	निधियों का अभियोजन
10	लेखा वर्ष
11	आस्ति वर्गीकरण
12	निवेश
13	आय निर्धारण
14	तुलन पत्र में प्रकटीकरण
15	आंतरिक लेखा परीक्षा
16	छूट
17	तिमाही विवरणी की प्रस्तुति
18	लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रस्तुति
19	साख सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना
20	अधिनियम के तहत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री को लेनदेन की प्रविष्टि
21	इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
22	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग
23	शेयरों के अंतरण द्वारा प्रबंधन में किसी प्रकार का पर्याप्त परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना
24	प्रायोजकों/निवेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड
25	उचित व्यवहार संहिता
26	कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा
27	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड), 2016 के तहत समाधान आवेदक के रूप में एआरसी

भारतीय रिज़र्व बैंक

विनियमन विभाग

केंद्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट

मुंबई - 400001

मास्टर परिपत्र – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

1. निदेशों/अनुदेशों की प्रयोज्यता

(1) इन निदेशों/अनुदेशों के प्रावधान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एआरसी पर लागू होंगे। तथापि, यहां पैराग्राफ 7 में उल्लिखित न्यास/न्यासों के संबंध में, पैराग्राफ 3, 4, 5,8, 9(i), 9(iii) 11,12,13 और 14 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

[1](2) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 4 द्वारा कवर की गई एआरसी को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वयन अनुपालन के साथ-साथ मिलान की सुविधा एवं बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2020 को विवि. (गैबैंविक). कंपरि. नीप्र. सं.109/22.10.106/2019-20 के माध्यम से इंड एएस पर विनियामकीय निर्देश जारी किए हैं, जो उक्त विषय पर तत्पश्चात जारी निर्देशों के साथ ऐसी एआरसी पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से उनके वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) (i) "अधिनियम" का अर्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 है;

(ii) "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक है;

(iii) "विघटित मूल्य" का अर्थ इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि से है, जिसमें से अमूर्त आस्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि को घटाकर निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;

[1] दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र संख्या विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[2](iv) "प्रबंधन में परिवर्तन" का अर्थ एआरसी की पहल पर उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन के लिए संपूर्ण या काफी हद तक संपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति और / या अन्य संबंधित कार्मिक को परिवर्तित करने से है;

[3](v) "अर्जन (अभिग्रहण) की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है, जिस तारीख को एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों का स्वामित्व अपनी बहियों या सीधे ट्रस्ट की बहियों में ग्रहण किया जाता है;

(vi) "जमाराशि" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत बनाये गये कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियम, 2014 में यथा परिभाषित जमाराशि से है;

(vii) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करोत्तर लाभों से अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत लेकर की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;

(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(सी) एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(viii)"उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य (अर्निंग वैल्यू) तथा विघटित(ब्रेक-अप) मूल्य के माध्य से है;

(ix)"अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का अर्थ ऐसी आस्ति से है, जिसके संबंध में:

(ए) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), ऋण या अग्रिम प्राप्त करने की तारीख अथवा उधार लेने वाले और प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) के बीच संविदा के अनुसार नियत तारीख से, जो भी बाद में हो, 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए अतिदेय हो;

(बी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 6(सी) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए बनायी गयी योजना में, उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख से 180 दिन या उससे अधिक दिन की अवधि के लिए अतिदेय हो;

[2] 21 अप्रैल 2010 के परिपत्र सं.डीएनबीएस/पीडी (एससी/आरसी)17/26.03.001/2009-10 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[3] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं.डीएनबीएस.(पीडी) सीसी.सं.18/एससीआरसी/26.03.001/2009-10 द्वारा प्रतिस्थापित

(सी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 6(सी) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए, जब कोई योजना नहीं तैयार की गयी हो, योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय हो; या

(डी) कोई अन्य प्राप्य राशि, यदि वह एआरसी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

बशर्ते किसी एआरसी का निदेशक मंडल उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर किसी आस्ति को उस पर उल्लिखित अवधि से पहले भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है (अधिनियम की धारा 13 में दिये गये उपबंध के अनुसार प्रवर्तन में सुविधा के लिए)।

(x)"अतिदेय"का अर्थ किसी उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद अप्रदत्त (अनपेड) रहती है;

(xi) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है निम्नलिखित का योग

(ए) चुकता ईक्विटी पूंजी;

(बी) चुकता अधिमान पूंजी, उस सीमा तक जहां तक कि यह इक्विटी पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(सी) मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोडकर);

(डी) लाभ और हानि खाते में जमाशेष जिसमें से निम्नलिखित को घटाया गया हो :

(ई) लाभ और हानि खाते में नामे शेष

(एफ) विविध खर्चे (बट्टा खाते में न डाली गई या समायोजित न की गई सीमा तक);

(जी)अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य;

(एच) अनर्जक आस्तियों / निवेशों के मूल्य में अवनति के लिए अल्प / कम प्रावधान;

(आई) अधिक आय निर्धारण, यदि कोई हो;

(जे) वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किये गये मदों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियां;

(xii) "योजना अवधि" का अर्थ है पुनर्निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहीत वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए योजना तैयार करने के लिए दी गयी वह अवधि, जो कि छह महीने से अधिक[4] नहीं हो सकती;

(xiii)"मानक आस्ति" का अर्थ ऐसी आस्ति से है, जो अनर्जक आस्ति नहीं है;

[4] 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना गैबैंपवि (नीप्र-एससी/आरसी)/सं.11/पीसीजीएम(केकेवी)–2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[5](xiv)"प्रबंधन के अधिग्रहण" का अर्थ एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन कार्मिक को परिवर्तित करके या बिना परिवर्तित किए उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को अधिग्रहीत करने से है;

(xv)"न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास से है ।

(2) यहां पर प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु अधिनियम में जिनकी परिभाषा दी गई है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका अर्थ है । अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम में नहीं दी गई है, अर्थ वह होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उनका अर्थ है ।

3. पंजीकरण और उससे संबंधित मामले

(i) प्रत्येक एआरसी बैंक की वेबसाइट पर उपलोड किए गए आवेदन फॉर्म[6] में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 3 में दिए गये उपबंध के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण की इच्छा रखने वाली एआरसी से अपेक्षित है कि वह अपना आवेदन उपर्युक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट फार्मेट में विधिवत भरकर सभी संबंधित कागजात / समर्थित दस्तावेजो के साथ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001; को प्रस्तुत करें;

(iii) कोई एआरसी, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण दोनों कार्यकलाप कर सकती हैं;

[7](iii) (ए) कोई एआरसी बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी;

बशर्ते कि एआरसी द्वारा कारोबार प्रारंभ करने की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक इस अवधि को उसके बाद उस समय तक के लिए बढ़ा सकता है जो पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से 12 माह के बाद की नहीं होगी।

[8](iii) (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए, 45-आईबी तथा 45-आईसी के प्रावधान उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नही होंगे जो एआरसी है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक के पास पंजीकृत है;

---

[5] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं. गैबैंपवि/नीप्र(एससी/आरसी)सं.17/26.03.001/2009-10 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[6] https://rbi.org.in/scripts/FS_Forms.aspx?fn=14
[7] 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना गैबैंपवि सं.6/सीजीएम(पीके)/2006 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[8] 28 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.3/सीजीएम(ओपीए)/2003 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(iv) अधिनियम की धारा 3 के तहत बैंक के साथ पंजीकृत नहीं होने वाली कोई भी संस्था आवश्यक प्राधिकरण/अनुमोदन के अधीन अधिनियम के दायरे से बाहर प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय कर सकती है।

[9]4. निवल स्वाधिकृत निधि

(1) [10]11 अक्टूबर 2022 से प्रभावी आधार पर एआरसी के लिए निवल स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) न्यूनतम 300 करोड़ रुपये होगी। परिणामत:, 11 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कोई भी एआरसी द्वारा न्यूनतम 300 करोड़ रुपये के एनओएफ के बिना प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू नहीं किया जाएगा। 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम आवश्यक एनओएफ प्राप्त करने के लिए 11 अक्टूबर 2022 तक मौजूदा एआरसी के लिए निम्नलिखित ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है:

11 अक्टूबर 2022 को न्यूनतम आवश्यक एनओएफ	**31 मार्च 2024 तक**	**31 मार्च 2026 तक**
100 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये	300 करोड़ रुपये

उपर्युक्त चरणों में से किसी का भी अनुपालन न करने की स्थिति में, गैर-अनुपालित एआरसी पर्यवेक्षी कार्रवाई के अधीन होगी, जिसमें उस समय लागू आवश्यक न्यूनतम एनओएफ तक पहुंचने तक वृद्धिशील व्यवसाय करने पर प्रतिबंध शामिल है।

(2) एनओएफ की गणना स्वाधिकृत निधि (ओएफ) से निम्न राशियों को घटाकर की जाएगी:

(i) एआरसी द्वारा निम्न शेयरों में निवेश-

ए. उसकी अनुषंगी संस्थाओं में;

बी. उसी समूह की अन्य कंपनियों में;

सी. अन्य सभी एआरसी में; तथा

(ii) निम्न के डिबेंचर, बॉन्ड, बकाया ऋण और उन्हें दिए अग्रिमों और उनके साथ जमा का बही मूल्य-

ए. एआरसी की अनुषंगी संस्थाओं में; और

बी. उसी समूह की कंपनियों में,

उस सीमा तक जिस तक ऐसा बही मूल्य स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक हो

[9] 28 अप्रैल 2017 के परिपत्र सं.गैबैंविवि/नीप्र-(एसआरसी) सीसी.सं.03/26.03.001/2016-17 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[10] 11 अक्तूबर 2022 के परिपत्र सं.डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

5. स्वीकार्य कारोबार

(i) कोई भी एआरसी केवल प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कार्यकलाप तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित कार्य करेगी।

(ii) कोई एआरसी जमाराशि के रूप में धन नहीं उगाहेगी।

6. आस्ति पुनर्निर्माण

(1) वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण

(i) प्रत्येक एआरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के 90 दिन के अंदर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक 'वित्तीय आस्ति अभिग्रहण नीति' बनाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित किये जायेंगे:

[11](ए) अपनी बहियों या सीधे ट्रस्ट की बहियों में अर्जन के मानदण्ड और प्रक्रिया;

(बी) आस्तियों के प्रकार और वांछित रूप रेखा (प्रोफाइल);

(सी) मूल्यन की क्रिया विधि, यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जित की गयी आस्तियों का वसूली योग्य मूल्य है, जिसका उचित रूप से आकलन और तटस्थ रूप से मूल्यन किया जा सकता है;

(डी) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए योजना बनाने हेतु व्यापक (ब्रॉड) मापदंड।

(ii) निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या एआरसी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है।

(iii) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

[12] (iv)दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बोली लगाने से पहले, एआरसी अंतर्निहित आस्तियों की पुष्टि कर खाते का एक सार्थक यथोचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) करने के लिए नीलामी बैंकों से कम से कम दो सप्ताह का पर्याप्त समय प्राप्त कर सकती हैं।

---

[11] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

[12] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11/पीसीजीएम(केकेवी)/-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[13](2) अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

एआरसी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी जाती है:

ए. लेनदेन का निपटान नकदी आधार पर किया जाएगा;

बी. इस तरह के लेन-देन के लिए मूल्य निर्धारण प्रतिभूति रसीद (एसआर) धारकों के हित के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए;

सी. बिक्री करने वाली एआरसी द्वारा प्राप्त आय का उपयोग अंतर्निहित एसआर के मोचन के लिए किया जाएगा;

डी. अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों के मोचन की तिथि और वसूली का कुल समय प्रथम एआरसी द्वारा अधिग्रहण की तिथि से आठ वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए।

[14](3) एआरसी द्वारा प्रायोजकों और ऋणदाताओं से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण

किसी भी परिस्थिति में एआरसी निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं:

(i) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो एआरसी का प्रयोजक है;

(ii) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो या तो एआरसी का ऋणदाता है अथवा जो एआरसी द्वारा अपने परिचालन के लिए जुटायी निधि, अगर हो तो, का अभिदानकर्ता है;

(iii) एआरसी से संबंधित समूह की एक संस्था।

तथापि, वे वित्तीय आस्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी नीलामी पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के की गई हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया गया हो।

[15](4) आस्तियों के अधिग्रहण से पूर्व बैंक/ वित्तीय संस्था से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) अपनाने हेतु उठाए गए खर्च को संबन्धित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। आस्तियों के अधिग्रहण के बाद ट्रस्ट के निर्माण हेतु ट्रस्ट से वसूल किए जाने वाले स्टैंप शुल्क, पंजीकरण आदि हेतु उठाये गए खर्च, यदि योजना अवधि के 180 दिनों अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के डाउनग्रेडिंग [अर्थात निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की तुलना में एसआर के

---

[13] 28 जून 2019 की परिपत्र सं. गैबैंविवि/नीप्र-(एआरसी) सीसी.सं.07/26.03.001/2018-19 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[14] 06 दिसंबर 2019 की परिपत्र सं. विवि.एनबीएफ़सी(एसआरसी) सीसी.सं.08/26.03.001/2019-20 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[15] 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

अंकित मूल्य का 50% से कम हो जाना], जो भी पहले हो, के अंदर प्राप्त नहीं होते है, तो इसे वापस किया जाए।

बी. आस्ति पुनर्निर्माण के उपाय

.[16](1) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका अधिग्रहण

(i) इन दिशानिर्देशोंका उद्देश्य एआरसी के कार्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता, अविभेदीकरण एवं मनमानेपन पर रोक को सुनिश्चित करना और अधिनियम की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करने या उसके अधिगहण को प्रभावी करने के बारे में सम्यक नियंत्रण तथा संतुलन प्रणाली को सुस्थापित करना है। एआरसी, उक्त अधिनियम की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय इन निर्देशोंका पालन करेंगी।

(ii) कोई एआरसी, उधारकर्ता से अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के प्रयोजन हेतु उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या का अधिग्रहण इन दिशानिर्देशों के उपबंधों के अंतर्गत ही कर सकती है। एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन/ के अधिग्रहण के विकल्प का प्रयोग उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन के अधिग्रहण के लिए दिए गए तरीके का अनुपालन करने के बाद कर सकती है। अपनी प्राप्य राशियों की वसूली हो जाने पर एआरसी इस अधिनियम की धारा 15(4) के उपबंधों के अनुसार उधारकर्ता को उसके कारोबार का प्रबंधन उसे लौटा देगी;
बशर्ते कि अगर किसी एआरसी ने अपने ऋण के हिस्से को एक उधारकर्ता कंपनी के शेयरों में परिवर्तित कर दिया है और इस तरह उधारकर्ता कंपनी में नियंत्रण हित हासिल कर लिया है, तो एआरसी ऐसे उधारकर्ता को व्यवसाय के प्रबंधन को बहाल करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(iii) प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण हेतु शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्वापेक्षाएं

नीचे पैराग्राफ (iv) में दी गई परिस्थितियों में -
(ए) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका अधिग्रहण तभी कर सकती है जब उधारकर्ता से उसे प्राप्य राशियाँ उधारकर्ता के स्वामित्व की कुल आस्तियों के 25% से कम न हों; और
(बी) जहाँ उधारकर्ता को (एआरसी सहित) एक से अधिक सिक्योर्ड उधारकर्ताओं ने वित्तीय सहायता दी हो, वहाँ (एआरसी सहित) सिक्योर्ड उधारदाता बकाया प्रतिभूति रसीदों के कम से कम 60% के धारक हों तथा ऐसी कार्रवाई के लिए सहमत हों ।

[16] 21 अप्रैल 2010 के परिपत्र सं. गैबैंपवि/नीप्र-(एससीआरसी) सं.17/26.03.001/2009-10 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

स्पष्टीकरण: **"**कुल आस्तियों**"** का अर्थ कार्रवाई की तारीख से ठीक पूर्व के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र में प्रकट की गई कुल आस्तियों से है।

(iv) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण के लिए आधार

उपर्युक्त पैराग्राफ (iii) में वर्णित पूर्वापेक्षा की शर्तों के तहत एआरसी निम्नलिखित में से किसी एक आधार के उपलब्ध होने पर उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण करने की हकदार होगी :-

(ए) संबंधित ऋण करार /करारों के तहत उधारकर्ता जानबूझकर देय राशियों की अदायगी करने में चूक करता है;

(बी) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के प्रबंधन की कार्यशैली से लेनदारों (एआरसी सहित) के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उधारकर्ता लेनदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफल हो रहा है;

(सी) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के कारोबार का प्रबंधन कारोबार को चलाने में सक्षम नहीं है जिससे कारोबार में हानि हो सकती है /एआरसी द्वारा प्राप्य राशियों की चुकौती नहीं हो सकती है या उधारकर्ता के कारोबार में पेशेवर प्रबंधन का अभाव है या उधारकर्ता के कारोबार के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पद पर रिक्ति को एक वर्ष से अधिक का समय हो जाने पर भी नियुक्ति नहीं हुई है जिससे उधारकर्ता के कारोबार के वित्तीय स्वास्थ्य या एआरसी, जो सिक्योर्ड लेनदार है, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(डी) यदि सिक्योर्ड लेनदारों (एआरसी सहित) की पूर्वानुमति के बिना उधारकर्ता ने एआरसी के पास जमानत के रूप में रखी आस्तियों का कुल मिलाकर 10% या अधिक बेच दिया है, समाप्त कर दिया है, पर प्रभार निर्मित कर दिया है, भारग्रस्त कर दिया है या विलग कर दिया है;

(ई) यदि इस बात का विश्वास करने का उचित आधार हो कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकार की गई अदायगी की शर्तों के अनुसार वह ऋण की अदायगी करने में असमर्थ होगा;

(एफ) यदि उधारकर्ता ने एआरसी की सहमति के बिना लेनदारों से कोई करार या समझौता कर लिया है जिससे एआरसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उधारकर्ता ने दीवालियेपन का कोई कार्य किया है;

(जी) यदि उधारकर्ता अपने पण्यावर्त (टर्नओवर) के 10% या अधिक अंश वाले कारोबर को बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है;

(एच) यदि उधारकर्ता की संपूर्ण आस्तियाँ या उनका महत्त्वपूर्ण भाग जो उसके कारोबार या परिचालनों के लिए अपेक्षित या आवश्यक था उसे उधारकर्ता ने अपने कार्यों से नुकसान पहुँचाया है;

(आई) यदि उधारकर्ता के व्यवसाय की सामान्य प्रकृति, कार्यक्षेत्र, संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण या स्वामित्व को एक हद तक बदल दिया जाता है, जो एआरसी की राय में ऋण चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है;

(जे) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के कारोबार के प्रवर्तकों या निदेशकों या भागीदारों में गंभीर विवाद पैदा हो गए हैं जो उधारकर्ता द्वारा ऋण की अदायगी की क्षमता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

(के) उधारकर्ता द्वारा ऋण से अर्जित की जानेवाली आस्ति के अर्जन में विफल होने, निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न के लिए उधार राशि का उपयोग करने या वित्तपोषित आस्ति का निपटान करने (बेच लेने) और आगम/प्राप्त राशि (प्रोसीड्स) का दुरुपयोग या दुर्विनियोजन हुआ हो;

(एल) लेनदार /लेनदारों के पास रखी जमानती आस्तियों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा कपट पूर्ण लेनदेन किए जाएं।

स्पष्टीकरण 'ए' : इस पैराग्राफ के लिए देय राशियों की अदायगी करने में "जानबूझकर चूक करना" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(ए) पर्याप्त नकदी प्रवाह एवं अन्य स्रोतों की उपलब्धता के बावजूद देय राशियों की अदायगी न करना; या
(बी) देय राशियों की अदायगी से बचने के लिए उधारदाता के अतिरिक्त/सहायता संघ (कंसोर्सियम) की सदस्यता न रखने वाले बैंक/बैंकों के माध्यम से लेनदेन करना; या

(सी) चूककर्ता यूनिट के हितों के विरुद्ध निधियों को अन्य कार्यों के लिए निकाल (खर्च कर) लेना, या एआरसी से लेनदेन से संबंधित रिकार्डों का दुष्प्रतिनिधित्व करना/ को झूठे तरीके से दिखाना।

स्पष्टीकरण'बी' : उधारकर्ता जानबूझकर चूक कर रहा है या नहीं, इसका निर्णय एआरसी उधारकर्ता के ट्रैक रेकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए करेगी, न कि किसी एकल लेनदेन /घटना के आधार पर जो महत्वपूर्ण नहीं है। जानबूझकर चूक करने की श्रेणी में दर्ज करने के लिए चूक को इरादतन, जानबूझकर तथा सोच समझकर किया गया होना चाहिए।

(v) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण से संबंधित नीति

(ए) प्रत्येक एआरसी अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण से संबंधित नीतिगत मार्गदर्शी सिध्दांत बनाएगी और अपनी ऐसी नीति की जानकरी उधारकर्ताओं को देगी।

(बी) ऐसी नीति में सामान्यत: निम्नलिखित का प्रावधान होगा -

(i) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन/के अधिग्रहण की कार्रवाई एआरसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच करने के बाद की जाएगी। इस समिति में तकनीकी/ वित्तीय/ विधिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवर व्यक्ति शामिल किए जाएंगे जो उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, उधारकर्ता से ऋण की वसूली के लिए उपलब्ध समय-सीमा, उधारकर्ता के भावी कारोबार की संभावनाओं तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिश एआरसी को देंगे कि वह उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन/के अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकती है तथा यह कि ऐसी कार्रवाई प्राप्य राशियों की प्राप्ति हेतु कारोबार को प्रभावी रूप में चलाने के लिए आवश्यक है;

(ii) न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित एआरसी का निदेशक बोर्ड स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगा और मौजूदा परिस्थितियों में उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण की कार्रवाई का निर्णय लेने से पूर्व प्राप्य राशियों की वसूली के विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा और इस प्रकार लिए गए निर्णय को कार्यविवरण में विशेष रूप से शामिल किया जाएगा ।

(iii) एआरसी इस संबंध में समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाएगी और प्रक्रिया का ब्योरा दर्ज करेगी जिसमें उन परिस्थितियों का वर्णन होगा जिनके कारण उधारकर्ता ने देय राशियों की अदायगी करने में चूक की और उसके कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण की नौबत क्यों आयी /आवश्यकता क्यों हुई।

(iv) एआरसी उचित कार्मिक /एजेंसी की पहचान करेगी जो उधारकर्ता के कारोबार को प्रभावी ढंग से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए योजना तैयार करके उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन का अधिग्रहण कर सकेगी ताकि समय-सीमा में एआरसी की प्राप्य राशियां उधारकर्ता से प्राप्त/ वसूल की जा सकें ।

(v) ऐसी योजना में उल्लिखित पैराग्राफ 6 (बी)(1)(ii) के अनुसार उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को पुनर्स्थापित करते समय एआरसी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया शामिल होगी जिसमें एआरसी द्वारा प्रबंधन में परिवर्तन/के अधिग्रहण के समय उधारकर्ता के अधिकार तथा दायित्व एवं उधारकर्ता को कारोबार का प्रबंधन लौटाते समय एआरसी की ओर से नए प्रबंधन के अधिकार एवं

दायित्व शामिल होंगे। एआरसी द्वारा नए प्रबंधन को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि उसकी/उनकी भूमिका उधारकर्ता के कारोबार को विवेकपूर्ण ढंग से चलाकर एआरसी की प्राप्य राशियों की वसूली तक सीमित होगी ।

स्पष्टीकरण :-

स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति (आईएसी) के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सदस्यों का एआरसी के किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति के सदस्य के तौर पर सेवाओं से भिन्न किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ एआरसी से नहीं मिलना चाहिए ।

(vi) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण की प्रक्रिया

(ए) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करने/के अधिग्रहण के अपने इरादे से उधारकर्ता को 60 दिन का नोटिस देकर अवगत कराएगी और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगी ।

(बी) यदि उधारकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्तियां उठायी जाती हैं तो प्रारंभ में स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति उन पर विचार करेगी और उसके बाद उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ एआरसी के निदेशक बोर्ड को सौपेंगी। एआरसी का निदेशक बोर्ड नोटिस अवधि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर उचित/ तर्क संगत आदेश पारित करेगा जिसमें उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंध में परिवर्तन/के अधिग्रहण के बाबत एआरसी के निर्णय का उल्लेख होगा जिसके बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(vii) रिपोर्टिंग

एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं से अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के लिए उनके कारोबार के प्रबंध में परिवर्तन करने/ के अधिग्रहण की की गई कार्रवाई के सभी मामले 26 सितंबर 2008 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं 12/SCRC/10.30.000/2008-09 के अनुसार बैंक को रिपोर्ट किया जाएगा।

(2) उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या पट्टे पर देना

कोई भी एआरसी तब तक उक्त अधिनियम की धारा 9 (1)(बी) में विनिर्दिष्ट उपाय अमल में नहीं लाएगी, जब तक कि इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी नहीं किएजाते हैं।

(3) ऋणों की पुनर्व्यवस्था (रिशेड्यूलिंग) करना

(i) प्रत्येक एआरसी उधार लेने वालों से प्राप्य ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए व्यापक मापदंड निर्धारित करते हुए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नीति बनायेगी;

(ii) सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उन के द्वारा समर्थित होने चाहिए;

(iii) प्रस्तावों से एआरसी का आस्ति देयता प्रबंधन एवं निवेशकों को दिए गए वादे अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होना चाहिए;

(iv) निदेशक मंडल, ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है;

(v) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए;

[17](vi) ऐसे मामलों में जिनमें एआरसी का किसी ऐसे उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर है, जिसके संबंध में दिनांक 07 जून 2019 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क की शर्तों के संदर्भ में एक समाधान योजना लागू की जा रही है, तो ऐसे मामलों में एआरसी द्वारा अंतर-ऋणदाता समझौता (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति हित प्रवर्तन

[18] (i) एआरसी को प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह रक्षित क्रेडिटरों से, जो उधारकर्ता के बाकाया राशि का कम से कम 60% (अबतक 75% के बजाय) रखते हैं, सहमति प्राप्त करें ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री की कार्रवाई करते समयकोई एआरसी उक्त जमानती आस्तियों को या तो अपने उपयोग के लिए या पुनर्बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है, यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो ।

(5) .[19]उधारकर्ताओं द्वारा देय राशियों का निपटारा

(i) उपर्युक्त पैरा 6 (बी) (1) (v) (बी) (i) में उल्लिखित आईएसी द्वारा प्रस्ताव की जांच किए जाने के बाद ही उधारकर्ता के साथ बकाया राशि का निपटान किया जाएगा। उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध समय सीमा, अनुमानित कमाई और उधारकर्ता की नकदी

[17] 07 जून 2019 को जारी परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के फुटनोट 5 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[18] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[19] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र संख्या डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 द्वारा संशोधित।

प्रवाह और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का आकलन करने के बाद आईएसी द्वारा उधारकर्ता के साथ देय राशि के निपटान के संबंध में एआरसी को अपनी अनुशंसाएँ दी जाएगी।

(ii) कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल आईएसी की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगा और यह तय करने से पहले कि क्या कर्जदार के साथ बकाया राशि के निपटान का विकल्प मौजूदा परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प है, बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा और निर्णय विस्तृत औचित्य के साथ, विशेष रूप से बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।

(iii) बकाया राशि की वसूली के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने के बाद और ऋण की वसूली की कोई और संभावना नहीं होने के बाद ही उधारकर्ता के साथ समझौता किया जाना चाहिए।

(iv) निपटान राशि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आमतौर पर प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। यदि वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के समय दर्ज प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और निपटान में प्रवेश के समय निर्धारित वसूली योग्य मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता है, तो उसके कारणों को विधिवत दर्ज किया जाएगा।

(v) निपटान राशि का भुगतान अधिमानतः एकमुश्त किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ है, आईएसी द्वारा न्यूनतम अग्रिम एकमुश्त भुगतान और अधिकतम चुकौती अवधि के बारे में विशेष अनुशंसा की जाएगी।

(vi) एआरसी द्वारा उपर्युक्त ढांचे के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की जाएगी।

.[20](6) कर्ज के किसी हिस्से का उधारकर्ता कंपनी के शेयरों के रूप में परिवर्तन

(i) प्रत्येक एआरसी को निदेशक मंडल से विधिवत अनुमोदित नीति बनानी होगी जिसमें कर्ज को उधारकर्ता कंपनी के शेयर में परिवर्तन के लिए व्यापक मापदण्ड निहित हो;

वित्तीय आस्तियों, जिनमें पुनर्रचना के बाद काया पलट की संभावना बनती है किंतु सामान्यत: वृहद चूक और कर्ज के अरक्षणीय (अन्सस्टेनबल) स्तर के साथ होती है, के मामले में यह आवश्यक है कि विस्तृत कारोबार योजना के मूल्यांकन तथा परिचालन की अनुमानित स्तर के आधार पर इस ऋण को सस्टनेबल स्तर तक लाया जाए, जिसे कंपनी द्वारा सेवित किया जा सके। अवशिष्ट अन्सस्टेनबल कर्ज के एक हिस्से को इष्टम कर्ज इक्विटी संरचना के लिए इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि एआरसी को उधारकर्ता कंपनी के कर्ज को शेयर में परिवर्तन के माध्यम से काया पलट करने से संबंधित निर्णयों में

[20] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सीसी सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

महत्वपूर्ण प्रभाव डालने या कहने की अनुमति है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उधारकर्ता कंपनी को परिचालित करेंगी। एआरसी की शेयरधारिता कंपनी की पुनर्रचना के तहत परिवर्तन के बाद की इक्विटी के 26% से अधिक नहीं होना चाहिए।

[21]बशर्ते कि नीचे उप पैरा (ए) में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली एआरसी को 26% की सीमा से छूट दी गयी है जो की सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर एआरसी के लिए लागू दिशानिर्देश/निर्देश और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमावली और अन्य सम्बद्ध कानूनो के अनुपालन के अधीन होगी। ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के पश्चात शेयरधारिता की सीमा उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा के अनुसार होगी।

(ए) नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली एआरसी को उधारकर्ता कंपनी की रूपांतरण के पश्चात इक्विटी के 26% शेयरहोल्डिंग की सीमा से छूट दी जाती है:

i. एआरसी द्वारा निरंतर आधार पर निर्धारित एनओएफ आवश्यकता का अनुपालन किया जाना चाहिए;
ii. एआरसी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए;
iii. एआरसी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के लिए नीति तैयार करेगी और ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के लिए प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए बहुसंख्य स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति को अधिकार देगी;
iv. इस योजना के अंतर्गत अधिग्रहित इक्विटी शेयरों को समय-समय पर मूल्यांकित और बाजार मूल्य से निर्धारित किया जाएगा। मूल्य निर्धारण की आवृत्ति महीने में कम से कम एक बार होगी।

(बी) एआरसी, कंपनियों के प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट की ऐसी प्रबंधन कंपनियों / व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने की संभावना पर विचार कर सकती है, जिसे फर्म /कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(सी) वित्तीय आस्तियों के वसूली की योजना

(i) प्रत्येक एआरसी को योजना अवधि के अंदर आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित एक या अधिक उपाय किये जा सकते हैं;

(ए) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान की पुनर्व्यवस्था करना;

[21] 23 नवंबर 2017 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.04/26.03.001/2017-18 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(बी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति में हित का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट);

(सी) उधारकर्ता द्वारा देय राशियों का निपटारा;

(डी) यहां ऊपर पैराग्राफ 6(बी)(1) और 6(बी)(2) में उल्लिखित अनुसार उधारकर्ता के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण या कारोबार के संपूर्ण या उसके एक भाग की बिक्री या पट्टे का अधिग्रहण;

[22] (ई) कर्ज के किसी हिस्से का उधारकर्ता कंपनी के शेयरों के रूप में परिवर्तन।

[23] (ii) एआरसी वित्तीय आस्तियों की वसूली की योजना तैयार करेगी जिसके अंतर्गत वसूली अवधि संबंधित वित्तीय आस्तियों के अर्जन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) एआरसी का निदेशक बोर्ड वित्तीय आस्तियों की वसूली की अवधि को इस प्रकार बढ़ा सकता है कि वसूली अवधि आस्ति के अर्जन की तारीख से आठ वर्षों से अधिक न हो।

(iv) यदि एआरसी उस खाते में उधारदाताओं में से एक है जहां एक समाधान योजना को अंतिम रूप दिया गया है और यह उपर्युक्त खंड (iii) के अनुसार एआरसी के लिए अनुमत अधिकतम समाधान अवधि से अधिक है, तो एआरसी अन्य प्रतिभूतित ऋणदाताओं के साथ समाप्त होने वाली समाधान अवधि को अपना सकती है।

(v) एआरसी का निदेशक बोर्ड एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए उल्लिखित खंड (ii) या (iii) में वर्णित अवधि, जैसा भी मामला हो, में वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों/उपायों को उल्लेख करेगा।

(vi) अर्हताप्राप्त क्रेता (क्यूबी) विस्तारित अवधि की समाप्ति पर ही सरफेसी अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन लेने के हकदार होंगे, बशर्ते उक्त खंड (iii) के अंतर्गत वसूली की समय-सीमा में विस्तार किया गया हो।

7. प्रतिभूतिकरण

[24](1) **एसआर जारी करना-** एआरसी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) के उपबंधों को, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गये एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी। यदि आस्तियों को सीधे न्यास/सों की बहियों में अर्जित नहीं किया गया है, तो एआरसी आस्तियों को उपर्युक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) से अर्जित की गई थीं:

i. उक्त न्यास केवल अर्हताप्राप्त क्रेताओं को ही प्रतिभूति रसीदें जारी करेंगे; और उक्त वित्तीय आस्तियों को इन अर्हताप्राप्त क्रेताओं के लाभ के लिए रखेंगे और उनका प्रबंध करेंगे;

ii. इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त एआरसी के पास रहेगी;

---

[22] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[23] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

[24] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

iii. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाली एआरसी उक्त रसीदें जारी करने से पहले उक्त ट्रस्टद्वारा बनायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदें जारी करने का प्रावधान करते हुए निदेशक मंडल के विधिवत् अनुमोदन से एक नीति बनायेगी;

iv. उपर्युक्त उप पैराग्राफ (iii) में संदर्भित नीति में यह प्रावधान किया जायेगा कि जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें केवल अन्य अर्हताप्राप्त क्रेताओं को ही हस्तांतरणीय/ समनुदेशन योग्य होंगी ।

[25](2) एआरसी द्वारा स्थापित ट्रस्ट के द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश

[26] एआरसी, निधि हस्तांतरण द्वारा, प्रत्येक योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक वर्ग के एसआर में हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा एसआर में किए गए निवेश का कम से कम 15% या जारी किए गए कुल एसआर का 2.5%, जो भी उच्चतर हो, निवेश करेंगी। उपर्युक्त निवेश ऐसी योजना के तहत जारी किए गए सभी एसआर के मोचन तक किया जाएगा।

[27](3) पुनर्निमाण वित्त समर्थन

निम्नलिखित शर्तों के अधीन एआरसी क्यूबी द्वारा संबंधित योजना के तहत अर्जित की गई वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधि के भाग का उपयोग करसकती है:

(i) रू 500 करोड़ से अधिक की आस्ति अर्जित करने वाली एआरसी, उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार क्यूबी से अर्जित निधि का उपयोग वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण हेतु एक योजना को फ्लोट करने के लिए कर सकती है।

(ii) पुनर्निमाण के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का विस्तार, उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार योजना के तहत जुटाई गई राशि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। पुनर्निमाण के उपयोग के उद्देश्य से अर्जित की गई निधि (25% की उच्चतम सीमा में) को योजना के प्रारंभ में बताया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुनर्निमाण उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का लेखांकन अलग से किया जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक एआरसी को क्यूबी से अर्जित निधि को ऐसी योजनाओं में उपयोग हेतु अपने निदेशक मंडल से विधिवत अनुमोदित नीति बनानी चाहिए जिसमें व्यापक मानदंड निहित हो।

(4) प्रकटीकरण

प्रतिभूति रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक एआरसी अनुबंध में उल्लिखित अनुसार प्रकटीकरण करेगी|

---

[25] 05 अगस्त 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.41/एससीआरसी/26.03.001/2014-15 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[26] 11 अक्तूबर 2022 के परिपत्र सं. डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से संशोधित।
[27] 19 मार्च 2014 के परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[28]**(5)** अर्हताप्राप्त क्रेता को उक्त अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में उनके निवेश का मूल्य जानने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए एआरसी को सूचित किया गया है कि वे नियमित अंतराल पर अपने द्वारा जारी एसआर की निवल आस्ति मूल्य की घोषणा करते रहे।

8. पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा

(i) प्रत्येक एआरसी निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कायम रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगा । जोखिम भारित आस्तियों की गणना तुलनपत्र की और तुलनपत्र के बाह्य मदों के सकल भार के रूप में यहां नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार की जायेगी:

भारित जोखिम आस्तियां

तुलनपत्र की मदें	जोखिम भार का प्रतिशत
(ए) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/नाबार्ड/सिडबी में नकदी और जमा राशि	0
(बी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
(सी) अन्य एआरसी में शेयर	0
(डी) अन्य सभी आस्तियां	100
तुलनपत्र बाह्य मदें	
सभी आकस्मिक देयताएं	50

9. निधियों का अभिनियोजन (डेप्लॉयमेंट)

(i) एआरसी प्रायोजक के रूप में और एक संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु बनायी गयी किसी एआरसी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है;

[29](ii) एआरसी अपने पास उपलब्ध अधिक धनराशियां इस संबंध में उसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाराशियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या ऐसी ही अन्य संस्थाओं, जिन्हे भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, की जमाराशियों में नियोजित कर सकती हैं/ के रूप में रख सकती है;

[30] इसके अलावा, एआरसी उपलब्ध अधिशेष निधियों को अल्पावधि उपकरणों अर्थात, मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड/वाणिज्यिक पेपर जिनकी शॉर्ट-टर्म रेटिंग

[28] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)9/सीजीएम(एएसआर) 2010 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[29] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना संगैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित
[30] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र सं. डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 द्वारा प्रतिस्थापित

पात्र सीआरए द्वारा दीर्घावधि रेटिंग AA- या उससे ऊपर के बराबर है, में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित कर सकते हैं:

ए) ऐसे लिखतों में अधिकतम निवेश एआरसी के एनओएफ के 10% पर सीमित है।

बी) एआरसी की इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

[31] (iii) कोई एआरसी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी,

बशर्ते कि यह प्रतिबंध एआरसी द्वारा अपने उपयोग के लिए भूमि या भवन में निवेश पर उसकी स्वाधिकृत निधि के अधिकतम 10% तक लागू नहीं होंगे;

बशर्ते यह भी कि एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण के अपने सामान्य कारोबार के दौरान अपने दावों की पूर्ति के लिए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अर्जित भूमि या भवन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा;

बशर्ते यह भी कि किसी एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण के अपने सामान्य कारोबार के संबंध में प्रतिभूति हितों को लागू करने के दौरान अर्जित भूमि और/ या भवन ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष या रिज़र्व बैंक द्वारा एआरसी की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु दी गई विस्तारित अवधि में बेच दी जाएगी।

[32](iv) एआरसी अपने बकाया ऋणों की वसूली के एकमात्र उद्देश्य के लिए अधिगृहीत ऋण खातों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी निधियों का विनियोजन कर सकती है।

10. लेखा वर्ष

प्रत्येक एआरसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार अपना तुलनपत्र और हानि-लाभ खाता तैयार करेगी। एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे अपने तुलन पत्र में एक वर्ष के अंदर की बकाया सभी देयताओं को "वर्तमान देयता" के रूप में वर्गीकृत करेंगी तथा नकद और बैंक के समक्ष जमाशेष सहित एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली आस्तियों को "वर्तमान आस्ति" के रूप में वर्गीकृत करेंगी। पूंजी और आरक्षित (रिजर्व) को देयता की तरफ देयता माना जाएगा तथा एसआर में निवेश और बैंक के समक्ष दीर्घकालिक जमाराशि को आस्ति के तरफ सावधि (फिक्स्ड) आस्ति माना जाएगा।

[31] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना संगैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

[32] 22 अप्रैल 2009 को जारी परिपत्र सं. डीएनबीएस.पीडी(एससी/आरसी)सीसी सं.13/26.03.001/2008-09 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

11. आस्ति वर्गीकरण

(1) वर्गीकरण

(i) प्रत्येक एआरसी सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए प्रासंगिक जमानत पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए [33][अपनी स्वयं की बहियों में धारित] आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी, अर्थात्

(ए) मानक आस्तियां

(बी) अनर्जक आस्तियां

(ii) अनर्जक आस्तियों को आगे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ए)'अवमानक आस्ति' वह आस्ति है जिसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख से 12 महीने से अधिक न हुआ हो;

(बी) 'संदिग्ध आस्ति' वह आस्ति है जिसे अवमानक आस्ति बने 12 महीने से अधिक हुआ हो;

[34](सी) "हानिगत आस्ति" यदि (ए) आस्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है, (बी) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से आस्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हो; (सी) एआरसी या उसके आंतरिक या वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा आस्ति को "हानिगत आस्ति" के रूप में पहचाना गया हो; या (डी) प्रतिभूति रसीद सहित वित्तीय आस्ति पैराग्राफ 6(सी)(ii) या 6(सी)(iii) के अंतर्गत एआरसी द्वारा निर्मित वसूली योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल समय-सीमा में वसूली न जा सकी हो और एआरसी या उनके ट्रस्ट के पास लगातार धारण रही हो।

(iii) एआरसी द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी आस्तियों को योजना अवधि के दौरान, यदि कोई हो, मानक आस्तियों के रूप में माना जा सकता है।

(2) आस्ति पुनर्निर्माण पुनः सौदाकृत/पुनर्व्यवस्थित (रिशेड्यूल्ड) आस्तियां

(i) जब किसी एआरसी द्वारा मानक आस्ति से संबंधित ब्याज और/या मूलधन के संबंध में करार की शर्तों का फिर से सौदा किया गया हो या उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया हो (योजना अवधि के दौरान से अलग) तो संबंधित आस्ति को फिर से सौदा किये जाने / पुनर्व्यवस्थित किये जाने की तारीख से

[33] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा संशोधित।
[34] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा संशोधित।

अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा या उसे अवमानक या संदिग्ध आस्ति के रूप में बने रहने दिया जायेगा, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) उक्त आस्ति को पुनः सौदा की हुई /पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अनुसार 12 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के बाद ही मानक आस्ति के रूप में उन्नत किया जा सकता है ।

(3) प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं

प्रत्येक एआरसी अनर्जक आस्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेगी:-

आस्ति की श्रेणी	**अपेक्षित प्रावधान**	
अवमानक आस्तियां	बकाया राशि पर 10% का सामान्य प्रावधान	
संदिग्ध आस्तियां	(i)	उस सीमा तक 100% प्रावधान जिसके लिए आस्ति, प्रतिभूति के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य से आवरित नहीं होती है
	(ii)	उपर्युक्त मद (i) के अलावा, शेष बकाया राशि का 50%
हानिगत आस्तियां	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाला जायेगा।	
	(यदि किसी कारण से उक्त आस्ति को बहियों में रखा जाता है तो उसके लिए 100% का प्रावधान किया जायेगा)	

12. निवेश

[35](i) एसआर में निवेश की प्रकृति पर विचार करते हुए जहां अंतर्निहित नकद प्रवाह अर्नजक आस्तियों के वसूली पर निर्भर करता है, इसे बिक्री हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अत: एसआर में निवेश को श्रेणी के तहत निवेश के निवल मूल्य ह्रास/ निवल मूल्य वृद्धि तक पहुंचाने के प्रयोजन से समेकित किया जा सकता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसके लिए प्रदान कियाजाना चाहिए। यदि कोई निवल मूल्य वृद्धि है तो उसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए।

(ii) सभी निवेशों का मूल्य, लागत या वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जायेगा। जहां पर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां बाज़ार मूल्य को वसूली योग्य मूल्य माना जायेगा और ऐसी स्थिति में जब बाज़ार की दरें उपलब्ध नहीं हो तो वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य (फेयर वेल्यू) होगा। परंतु अन्य पंजीकृत एआरसी में निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जायेगा और उनका मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों के अनुसार किया जायेगा ।

[35] 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

13. आय-निर्धारण

[36](i) प्रतिभूति रसीदों के संपूर्ण मूलधन राशि के पूर्ण मोचन के बाद ही प्रतिफल (यील्ड) का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह 2014-15 से लागू होगा।

(ii) प्रतिभूति रसीदों के पूर्ण मोचन के बाद ही अपसाइड आय का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह 2014-15 से लागू होगा।

[37](iii) प्रबंधन फीस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा निर्दिष्ट रिकवरी रेटिंग की सीमा के निचले अंत में गणित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के प्रतिशत के रूप में गणित और वसूल किया जाना चाहिए बशर्ते कि इसे अंतर्निहित आस्ति के अधिग्रहण के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, एनएवी की उपलब्धता से पहले, प्रबंधन फीस, एसआर के वास्तविक बकाया मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिनी जानीचाहिए।

प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचय आधार (एक्रुअल बेसिस) पर किया जा सकता है। योजना अवधि के **दौरान** निर्धारित प्रबंधन शुल्क को योजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। योजना अवधि **के बाद** निर्धारित प्रबंधन शुल्क को निर्धारित की जाने की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अप्राप्त प्रबंधन शुल्क को वापस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि प्राप्ति हेतु निर्धारित समय से पूर्व एसआर का एनएवी अंकित मूल्य के 50% से नीचे गिर जाता है तो कोई अप्राप्त प्रबंधन शुल्क वापस किया जाना चाहिए। तथापि, एआरसी को 31 मार्च 2014 के पूर्व की उपार्जित अप्राप्त प्रबंध शुल्क प्राप्तियों को दो साल, वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अवधि में चार छमाही किस्त में एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अनुमति है जो कि कंपनी के तुलन पत्र में ऐसी उम्रवार प्राप्य राशियों के प्रकटीकरण के अधीन होंगे।

(iv) अन्य सभी मदों पर आय-निर्धारण मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगा;

(v) आईसीएआई द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों का, वहां तक पालन किया जायेगा, जहां तक वे यहां निहित/दिए गए निर्देशों से असंगत नहीं हों;

(vi) सभी अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज और किसी अन्य प्रभार को तभी आय खाते में लिया जायेगा जब वे वास्तव में वसूल हो गये हों। किसी एआरसी द्वारा आस्ति के अनर्जक होने से पहले वसूलनीय मानी गयी किन्तु अप्राप्त रही ऐसी आय को अनिर्धारित/अमान्य कर दिया जायेगा ।

---

[36] 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[37] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11 /पीसीजीएम(केवीवी)-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

14. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) प्रत्येक एआरसी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार की जाएगी और उन्हें अपने तुलन पत्र में अनुबंध के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा:

जारी रखे गए प्रकटीकरण

(i) उन बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के नाम और पते जिनसे वित्तीय आस्तियां अर्जित की गयी थी और मूल्य जिस पर ऐसी आस्तियां प्रत्येक ऐसे बैंक/ वित्तीय संस्था से अर्जित किये गये थे;

(ii) विभिन्न वित्तीय आस्तियों का उद्योगवार और प्रवर्तकवार फैलाव (फैलाव कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाना है);

(iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों के अनुसार संबंधित पक्षों का ब्यौरा और उनको देय और उनसे प्राप्य राशियां;

(iv) मानक से अनर्जक के रूप में वित्तीय आस्तियों के अंतरण को दर्शाते हुए एक विवरण;

(v) [38][वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में अर्जित वित्तीय आस्तियों का मूल्य;

(vi) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों से हुई वसूली का मूल्य;

(vii) वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली के लिए शेष वित्तीय आस्तियों का मूल्य;

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान अंशत: अदा की गई प्रतिभूति रसीदों तथा पूर्णत: अदा हुई प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(ix) वित्तीय वर्ष के अंत में अदा होने के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(x) पैराग्राफ 6(सी)(ii) या 6(सी)(iii) के अंतर्गत एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए निर्मित नीति के अंतर्गत वसूली न हो पाने के कारण जिन प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो सकी, उनका मूल्य;

(xi) आस्तियों के पुनर्निर्माण के सामान्य कारोबार के अंतर्गत अर्जित भूमि एवं/या भवन का मूल्य (वर्ष-वार) ;

(xii) [39]आस्ति के मूल्यांकन का आधार अगर आस्ति का अधिग्रहण मूल्य बही मूल्य से अधिक है;

(xiii) पिछले साल के अंत में मूल्यांकन के 20% से अधिक की छूट पर वर्ष के दौरान निपटाए गए आस्ति (या तो बट्टे खाते डालकर या वसूली से) के विवरण और उसके कारण;

---

[38] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर)-2010 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[39] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11 /पीसीजीएम(केवीवी)-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(xiv) आस्ति का ब्यौरा जहां एसआर के मूल्य मे अधिग्रहण मूल्य से 20% से अधिक गिरावट आई है।

(2) (i) वित्तीय विवरणों के तैयार करने और उनके प्रस्तुत करने में अपनायी गयी लेखांकन की नीतियां बैंक द्वारा निर्धारित किये गये लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप होंगी;

(ii) जहां पर उक्त लेखांकन नीतियों में से कोई नीति इन निदेशों के अनुरूप न हो तो इन निदेशों से हटने के कारणोंका और उनके कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव का ब्योरा दिया जायेगा। जब ऐसा कोई प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह तथ्य प्रकट किया जाना चाहिए;

(iii) तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखे में किसी मद के अनुचित व्यवहार को न तो प्रयोग में लायी गयी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से और न तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे के नोट्स में प्रकटीकरण से परिशोधित हो गया माना जाएगा ।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रत्येक एआरसी अपने द्वारा अपनायी गयी आस्ति अभिग्रहण क्रियाविधियों और आस्ति पुनर्निर्माण के उपायों तथा उससे संबंधित मामलों की आवधिक रूप से जांच और समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए एक कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी ।

16. छूट

बैंक, यदि उसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एआरसी को किसी परेशानी से बचाने के लिए अथवा किसी उचित और पर्याप्त कारण के लिए, सभी एआरसी या किसी विशेष एआरसी या एआरसी के किसी वर्ग कोया तो सामान्य रूप से या किसी विशेष अवधि के लिए इन दिशानिर्देशों/ निर्देशों के सभी अथवा किसी प्रावधान से, छूट प्रदान कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह लगाना चाहे।

17. तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना

[40]एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिटर्न (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें।

18. लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रस्तुति

[41]सभी एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम बैठक, जिसमें लेखा परीक्षित खातों को शामिल किया गया हो, के एक माह के अंदर निदेशकों की रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित

[40] 29 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश गैबैंपवि.पीपीडी.02/66.15.001/2016-17 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[41] 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि4/ईडी(एसजी)/2004 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतिलिपि बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करें जहाँ वे पंजीकृत है।

.[42]19. क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनियों को जानकारी प्रस्तुत करना

(1) प्रत्येक एआरसी को न्यूनतम एक क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनना होगा जिसने क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(2) एआरसी समय-समय पर उस सीआईसी को, जिसकी वह सदस्य है, उधारकर्ताओं का सटीक डाटा/इतिहास प्रदान करेंगी।

(3) एआरसी प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर की समाप्ति पर इरादतन चूककर्ताओं की सूची उस सीआईसी को उपलब्ध करायेंगी जिसकी वह सदस्य है।

(4) सभी एआरसी को इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "इरादतन चूककर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो विनियमन विभाग द्वारा बैंकों को जारी किए गए परिपत्रों में उस अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है।

20. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री को लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करना

एआरसी द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के निर्माण से संबंधित सभी लेनदेन के रिकॉर्ड, यदि कोई हो तो, को दर्ज और पंजीकृत किया जाएगा।

[43]21. इंफोर्मेशन युटिलिटीज को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना

शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 को जारी परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.98/09.08.019/2017-18 में उल्लिखित निर्देश सभी पंजीकृत एआरसी पर लागू होंगे।

.[44]22. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग

एआरसी को आईबीए को अपने पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटस, अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वालों का ब्यौरा आईबीए के धोखाधड़ी में शामिल थर्ड पार्टी

[42] 07 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं12/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[43] 04 जनवरी 2018 को जारी परिपत्र सं.गैबैंविवि.निप्र (एआरसी)सीसी सं. 05/26.03.001/2017-18 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[44] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.011/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

संस्थाओं केडेटाबेस में शामिल करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि, एआरसी को सुनिश्चित करना है कि वे आईबीए द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों (परिपत्र सं. आरबी-II/एफ़आर./जीईएन/3/1331 दिनांक 27 अगस्त 2009) का सावधानी से पालन करें और आईबीए को रिपोर्टिंग से पहले पार्टियो को अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करने के लिए और उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निष्पक्ष अवसर दें । यदि उनसे एक महीने के भीतर कोई जवाब / संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो एआरसी आईबीए को उनके नाम रिपोर्ट कर सकती है। एआरसी द्वारा भविष्य में इस तरह की पार्टियों को कोई काम आवंटित करने से पहले इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

.[45]23. शेयरों के अंतरण द्वारा प्रबंधन में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना

अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित नियम और शर्तों में निहित विपरीततथ्यों के बावजूद भी, एआरसी को केवल निम्नलिखित अंतरण हेतु मामलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है :

i. [46]शेयर अंतरण या नए शेयर जारी होना जिसके द्वारा कोई नया प्रायोजक बनता है।
ii. शेयर अंतरण या नए शेयर जारी होना जिसके द्वारा कोई मौजूदा प्रायोजक समाप्त हो जाता है।
iii. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के दौरान एक प्रायोजक द्वारा एआरसी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का द्स प्रतिशत अथवा उससे अधिक का समग्र अंतरण।

स्पष्टीकरण :- इस क्लॉज के प्रयोजनार्थ, एक अंतरण को एआरसी की कुल चुकता शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का अंतरण माना जाएगा यदि उस अंतरण से पहले प्रायोजक द्वारा किए गए शेयरों के सभी अंतरण का कुल योग, उस अंतरण सहित, एआरसी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक है।

24. प्रायोजकों/ निवेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड

[47](1) समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2018, के प्रावधान एआरसी के मौजूदा और प्रस्तावित प्रायोजकों पर लागू होंगे।

[45] 24 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.गैबैंविवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.01/सीजीएम(सीडीएस)/ 2014-15 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[46] 11 अक्तूबर 2022 के परिपत्र सं. डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[47] 25 अक्तूबर 2018 को जारी मास्टर निदेश गैबैंपवि.निप्र (एआरसी) सीसी.सं06./26.03.001/2018-19 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[48](2) सभी एआरसी द्वारा बैंक के समय-समय पर यथासंशोधित 12 फरवरी 2021 के परिपत्र सं. विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21, में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

[49]**25. उचित व्यवहार संहिता**

सभी हितधारकों के साथ कारोबार करते समय पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'उचित व्यवहार संहिता' (एफ़पीसी) लागू करें। निम्नलिखित पैराग्राफ न्यूनतम विनियामक अपेक्षा प्रदान करते हैं जबकि प्रत्येक एआरसी का बोर्ड इसके दायरे और कवरेज को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। एफ़पीसी का सही मायनों में अनुपालन होना चाहिए और बोर्ड को इसके विकास और उचित कार्यान्वयन में हमेशा शामिल होना चाहिए। सभी हितधारकों की सूचना के लिए एफ़पीसी को पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

(1) आस्तियों के अधिग्रहण में एआरसी द्वारा पारदर्शी और भेदभाव रहित प्रथाओं का पालन किया जाएगा। इन्हें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निष्पक्षता (आर्म्स लेंथ डिस्टेंस) बनाए रखना होगा |

(2) प्रतिभूतित आस्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए,

(i) नीलामी में भाग लेने के लिए निमंत्रण सार्वजनिक रूप से मंगाए जाए; प्रक्रिया अधिक से अधिक संभावित खरीदारों की भागीदारी सुनिश्चित करे;

(ii) इस प्रकार की बिक्री के लिए नियम व शर्तों के संबंध में निर्णय लेते समय सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार प्रतिभूति रसीद के निवेशकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना अपेक्षित है;

(iii) [50] संभावित खरीदारों के साथ व्यवहार करते समय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29A का पालन किया जाएगा।

(3) एआरसी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की प्राप्ति पर सभी प्रतिभूतियां मुक्त करेगी, बशर्ते कि उधारकर्ता पर किसी अन्य दावे से संबन्धित कोई वैध अधिकार या धारणाधिकार ना हो। यदि इस प्रकार समंजन किया जाता है तो शेष दावों और एआरसी को संबन्धित दावों के निपटान/चुकौती तक प्रतिभूतियों को रखने के लिए पात्र बनाने वाली शर्तों का पूर्ण विवरण सहित नोटिस उधारकर्ता को देना होगा।

---

[48] 12 फरवरी 2021 को जारी परिपत्र सं.विविकेंका.एलआईसी.सीसी.सं.119/03.10.001/2020-21 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[49] 16 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र विवि.निप्र (एआरसी) सीसी.सं.09/26.03.001/2020-21 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[50] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 द्वारा संशोधित

(4) एआरसी प्रबंधन शुल्क, व्यय और प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो तो, जो उनके प्रबंधन वाले ट्रस्टों से दावा किया जाता है, के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति लागू करेगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रबंधन शुल्क उचित एवं वित्तीय लेनदेन के अनुपात में है। [51]आस्ति पुनर्निर्माण या प्रतिभूतिकरण गतिविधि के लिए लगाया गया कोई भी प्रबंधन शुल्क/प्रोत्साहन अंतर्निहित वित्तीय आस्तियों से प्रभावी वसूली से ही आएगा। बोर्ड-अनुमोदित नीति विभिन्न परिदृश्यों के तहत प्रबंधन शुल्क/ प्रोत्साहन पर मात्रात्मक कैप/ सीमा का संकेत देगी, जिसके किसी भी विचलन से बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(5) अपनी किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने के इच्छुक एआरसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति लागू करेंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों एवं सेवा प्रदाताओं के चयन संबधि प्रक्रिया के लिए मानदंड, जोखिम और महत्व के आधार पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण तथा इन गतिविधियों/सेवाप्रदाताओं के संचालन की निगरानी और समीक्षा शामिल है। एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण अपने ग्राहकों और रिजर्व बैंक के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में न कमी आये और न ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा उत्पन्न हो। आउटसोर्स एजेंसी का स्वामित्व/नियंत्रण यदि एआरसी के किसी निदेशक के पास है, तो यह सूचना मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ऋण वसूली के मामले में, एआरसी देनदारों के उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी। एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि उचित तरीके से ग्राहकों से निपटने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

(i) एआरसी वसूली एजेंटों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक आचार संहिता लागू करेगी और उस संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनसे लिखित वचन लेगी । प्रमुख होने के नाते, अपने वसूली एजेंटों की कार्रवाइयों के लिए एआरसी जिम्मेदार होगी।

(ii) यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें।

(iii) एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वसूली एजेंट अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ निभाने के लिए, विशेष रूप से फोन करने का समय, ग्राहक की सूचनाओं की गोपनीयता आदि के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंट असभ्य, गैरकानूनी और संदिग्ध व्यवहार अथवा वसूली प्रक्रिया को न अपनाएं।

[52][(iv) एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वे या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं

[51] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 द्वारा संशोधित

[52] 12 अगस्त 2022 को जारी परिपत्र विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

ले, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देना, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना और / या गुमनाम कॉल करना, लगातार[53] उधारकर्ता को कॉल करना और/ या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है।]

(7) एआरसी को संगठन के भीतर शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना चाहिए। एआरसी के नामित शिकायत निवारण अधिकारी के नाम और संपर्क नंबर का उल्लेख उधारकर्ताओं के साथ पत्राचार में किया जाना चाहिए। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाए। एआरसी की शिकायत निवारण प्रणाली, आउटसोर्स एजेंसी और वसूली एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, यदि कोई हो तो, से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करेगी।

(8) एआरसी केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता, हमेशा बनाए रखेगी और समूह में अन्य कंपनियों सहित किसी को भी इसका खुलासा नहीं करेगी- (i)विधिक अपेक्षा (ii) सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्य या (iii) उधारकर्ता की अनुमति ।

(9) एफपीसी का अनुपालन बोर्ड द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन होगा।

.[54]26 कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा

(1) एआरसी के प्रशासन को बढ़ाने के उपाय

(i) निदेशक मंडल की अध्यक्षता और बैठकें: बोर्ड के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) बोर्ड की कुल संख्या का एक तिहाई या तीन निदेशकों, जो भी अधिक हो, से होगी। इसके अलावा, बोर्ड की बैठकों में शामिल होने वाले निदेशकों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(ii) **प्रबंध निदेशक (एमडी)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) का कार्यकाल:** एमडी सीईओ या डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल एक बार में पांच साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा और वह व्यक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। तथापि,

[53] उदाहरण के लिए- बार-बार कॉल करना
[54] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

एमडीसीईओ या डब्ल्यूटीडी का पद एक ही पदधारी द्वारा लगातार पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक / धारण नहीं किया जाएगा।तत्पश्चात, अन्य शर्तों को पूरा करते हुए कोई व्यक्ति, तीन वर्ष के न्यूनतम अंतराल के बाद, बोर्ड द्वारा आवश्यक और वांछनीय समझे जाने पर, उसी एआरसी में एमडीसीईओ या / डब्ल्यूटीडी के रूप में पुन: नियुक्ति का पात्र होगा। इस तीनवर्ष की कूलिंग अवधि के दौरान, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में एआरसी के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा। पदारोहण योजना सुनिश्चित करने के लिए एआरसी उचित उपाय करेंगे।

(iii) एमडी/सीईओ और डब्ल्यूटीडी की आयु: कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के पश्चात एमडी / सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में नहीं रहेगा। 70 साल की समग्र सीमा के भीतर, उनकी आंतरिक नीति के हिस्से के रूप में, एआरसी के बोर्ड कम सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) कार्यनिष्पादन की समीक्षा: एमडी/सीईओ और डब्ल्यूटीडी के प्रदर्शन की समीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।

(2) बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड द्वारा निरीक्षण को मजबूत करने के लिए, सभी एआरसी बोर्ड की निम्नलिखित समितियों का गठन करेंगे:

(i) लेखा परीक्षा समिति: एआरसी बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी, जिसमें केवल गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। लेखापरीक्षा समिति तीन सदस्यों की गणपूर्ति के साथ तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। लेखापरीक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य के पास वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उससे जुड़ी टिप्पणियों/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्धारित शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य होंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से आस्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और एआरसी द्वारा अपनाए गए आस्ति पुनर्निर्माण उपायों और उससे संबंधित मामलों के संबंध में। लेखापरीक्षा समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रबंधन शुल्क/प्रोत्साहन/व्यय का लेखांकन लागू विनियमों के अनुपालन में है।

(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति: एआरसी बोर्ड की एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी, जिसके पास वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

178 में निर्धारित हैं। इसके अलावा, समिति प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों और प्रायोजकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करेगी।

(3) परिवर्तन अवधि (ट्रांजिशन पीरियड)

एआरसी जो 11 अक्टूबर 2022 तक उपर्युक्त पैराग्राफ 26 (1) और (2) में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं, उन्हें 10 अप्रैल 2023 तक इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

(4) निदेशकों और सीईओ के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड

(i) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक अथवा एमडी/सीईओ की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। एआरसी द्वारा ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर पद के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम उठाए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, एआरसी द्वारा नियुक्त/मौजूदा निदेशकों और एमडी/सीईओ से परिशिष्ट I में संलग्न प्रारूप में आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा घोषणाओं की छानबीन की जाएगी।

(ii) अद्यतन जानकारी के साथ परिशिष्ट I में घोषणा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वार्षिक आधार पर निदेशकों/एमडी/सीईओ से प्राप्त की जाएगी। परिशिष्ट I के पैराग्राफ 3 और 4 में मदों के संदर्भ में स्थिति में किसी भी परिवर्तन को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग को उसके विचार के लिए सूचित किया जाएगा।

(iii) एआरसी को निदेशकों को एआरसी में शामिल होने के समय परिशिष्ट II में संलग्न प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करेगा। यह विलेख एआरसी द्वारा संरक्षित किया जाएगा और जब भी मांगा जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

27.दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत समाधान आवेदक के रूप में एआरसी

सरफेसी अधिनियम की धारा 10(2) के प्रावधान के अनुसार, एआरसी को आईबीसी के अंतर्गत एक समाधान आवेदक (आर ए) के रूप में उन गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है जिनके लिए विशेष रूप से सरफेसी अधिनियम के तहत अनुमति नहीं है। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) एआरसी का न्यूनतम एनओएफ ₹1,000 करोड़ है।

(ii) एआरसी के पास आरए की भूमिका निभाने के संबंध में एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गतिविधियों का दायरा, क्षेत्रीय जोखिम के लिए आंतरिक सीमा आदि शामिल हो सकते हैं।

(iii) आईबीसी के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली एक समिति का गठन किया जाएगा।

(iv) एआरसी सेक्टर-विशिष्ट प्रबंधन फर्मों/व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने की संभावना का पता लगाएगी, जिनके पास फर्मों/कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता हो, जिन पर जरूरत पड़ने पर फर्मों/कंपनियों के प्रबंधन के लिए विचार किया जा सकता है।

(v) किसी विशिष्ट कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में, आईबीसी के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से पांच साल के बाद एआरसी कॉरपोरेट देनदार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण नहीं बनाए रखेंगी। इस शर्त का पालन न करने की स्थिति में, एआरसी को समाधान आवेदक या समाधान सह-आवेदक के रूप में आईबीसी के तहत कोई नई समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) एआरसी मौजूदा प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त आईबीसी के तहत अधिग्रहीत आस्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त खुलासे करेगी। इनमें आईबीसी के तहत अधिग्रहीत आस्ति का प्रकार और मूल्य, कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के आधार पर क्षेत्रवार वितरण आदि शामिल होंगे।

(vii) एआरसी अपने वित्तीय विवरणों में त्रैमासिक आधार पर निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का खुलासा करेगी।

****

अनुबंध

(1) प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रकटीकरण

.[55]ए. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाले से संबंधित

(i) एआरसी के पंजीकृत कार्यालय का नाम, स्थान, निगमन की तारीख, कारोबार आरंभ करने की तारीख;

(ii) प्रवर्तकों, शेयरधारकों के विवरण और एआरसी के निदेशक मंडल में, उनकी योग्यताओं और अनुभव के साथ निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा;

(iii) पिछले पाँच वर्षों काअथवा कंपनी का कारोबार आरंभ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कंपनी की वित्तीय सूचना का सारांश;

(iv) पिछले आठ वर्षों में या व्यवसाय शुरू होने के बाद से, जो भी कम हो, प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण गतिविधियों का विवरण, यदि कोई हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं पर सभी एसआर निवेशकों के लिए उत्पन्न रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड शामिल होगा।

(v) पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं की वसूली रेटिंग प्रवासन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ जुड़ाव का ट्रैक रिकॉर्ड।

(vi) क्या इस योजना के तहत, जुटाई गई रकम के एक हिस्से को अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के लिए उपयोग करने की परिकल्पना की गई है? यदि हां, तो जुटाई गई राशि का प्रतिशत जो पुनर्गठन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

बी. <u>प्रस्ताव की शर्तें</u>

(i) प्रस्ताव के उद्देश्य;

(ii) उसके स्वरूप, मूल्यवर्ग, निर्गम मूल्य आदि से संबंधित ब्योरे देते हुए लिखत का विवरण, एक प्राक्कथन के साथ कि प्रतिभूति रसीदों का हस्तांतरण अर्हताप्राप्त क्रेताओं तक ही सीमित है;

(iii) आस्तियों के प्रबंधन के लिए की गयी व्यवस्थाएं और एआरसी द्वारा ली जाने वाली प्रबंध शुल्क की सीमा;

---

[55] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(iv) ब्याज दर /संभावित प्रतिफल;

(v) मूलधन /ब्याज के भुगतान की शर्तें, अवधिपूर्णता/मोचन की तारीख;

(vi) शोधन तथा प्रशासन व्यवस्था;

(vii) साख निर्धारण का ब्योरा, यदि कोई हो, और उक्त निर्धारण के लिए औचित्य का सारांश;

(viii) प्रतिभूतिकरण की जा रही आस्तियों का विवरण जिसमें अधिग्रहण की तिथि, मूल्यांकन और एसआर जारी करने के समय आस्ति में एआरसी का हित शामिल है;

(ix) आस्ति समूह का भौगोलिक वितरण;

(x) आस्ति समूह की अवशिष्ट अवधिपूर्णता, ब्याज दरें, बकाया मूलधन;

(xi) अंतर्निहित प्रतिभूति का स्वरूप और मूल्य, संभावित नकदी प्रवाह, उनकी मात्रा और समय, साख वृद्धि के उपाय;

(xii) आस्तियों के अभिग्रहण की नीति और अपनायी गयी मूल्यन की पद्धति;

(xiii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियों के अभिग्रहण की शर्तें;

(xiv) प्रवर्तकों (ओरिजिनेटर) के पास कार्यनिष्पादन के अभिलेख का ब्यौरा;

(xv) आस्ति समूह में आस्तियों को बदलने की शर्तें, यदि कोई हो तो;

(xvi) जोखिम फैक्टरों का विवरण, विशेष रूप से भविष्य के नकदी प्रवाहों से संबंधित और उक्त जोखिमों को कम करने के लिए किये गये उपाय**;**

(xvii) चूक होने की स्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए की गयी व्यवस्थाएं, यदि कोई हों;

(xviii) न्यासी के कर्तव्य;

(xix) आस्ति पुनर्निर्माण के विशिष्ट उपाय, यदि कोई हों, जिनके संबंध में निवेशकों से अनुमोदन लिया जायेगा;

(xx) विवाद निवारण प्रक्रिया।

(2) तिमाही आधार पर प्रकटीकरण

(i) तिमाही के दौरान हुई कोई चूक, पूर्व भुगतान, हानियां, यदि कोई हो तो;

(ii) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) में हुआ परिवर्तन, यदि कोई हो;

(iii) वर्तमान आस्ति समूह में नयी आस्ति आने या आस्तियों की वसूली होने से आस्तियों की रूपरेखा(प्रोफाइल) में परिवर्तन;

(iv) वर्तमान और पिछली तिमाही का संग्रहण(कलेक्शन) सारांश;

(v) अर्जन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिससे अर्हताप्राप्त क्रेताओं पर प्रभाव पड़ता हो ।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मार्गदर्शी नोट

रिज़र्व बैंक ने एक मार्गदर्शी नोट तैयार किया है, जिसका सार नीचे दिया गया है। इन नोटों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

(1) वित्तीय आस्तियों का अर्जन

(i) प्रत्येक एआरसी से अपेक्षित है कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के अंदर आस्ति अर्जन नीति विकसित/तैयार करे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख होगा कि लेन-देन का तरीका पारदर्शी होगा एवं भली-भांति सूचित (वेल इनफार्म्ड) बाजार में वे उचित मूल्य पर होंगे, साथ ही लेन-देन का कार्य पर्याप्त सावधानी बरतते हुए निष्पक्ष/निरपेक्ष (आर्म्स लेंथ बेसिस पे) होगा।

(ii) किसी बैंक/वित्तीय संस्था से अर्जित किए जाने वाली वित्तीय आस्तियों के हिस्से को, उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उचित एवं निष्पक्ष तरीके से निकाला (वर्क आउट किया) जाएगा जिसमें सुरक्षा हित के प्रवर्तन के उद्देश्य से उधारकर्ता को बकाया राशि का 60% से कम नहीं रखने वाले सुरक्षित लेनदारों की सहमति आवश्यक है।

(iii) सरल एवं त्वरित वसूली के लिए, विभिन्न बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के प्रति ऋणी किसी कर्जदार से मिलने वाली सभी आस्तियों के अर्जन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार उसी संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंध रखने वाली सभी वित्तीय आस्तियों के अर्जन पर विचार किया जाएगा ताकि तुलनात्मक रूप से त्वरितता एवं सुगमता से वसूली हो सके।

(iv) अर्जित की जानेवाली आस्तियों की सूची में निधि व गैर निधि आधार वाली आस्तियों, दोनों को शामिल किया जाएगा। प्रवर्तक की पुस्तकों में [56]विशेष उल्लेखित खाते (SMA) के रूप में वर्गीकृत आस्तियों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है।

[56] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से संशोधित।

(v) किसी बैंक/वित्तीय संस्था की निधिक आस्तियों के अर्जन में आगे उधार देने के वायदे काटेकओवर शामिल नहीं किया जाएगा। गैर निधिक लेन-देनगत प्रतिभूति हित अर्जन की शर्तों में, निधियों की मांग उठने तक, संबंधित प्रतिबद्धताएंबैंक/वित्तीय संस्था के साथ जारी रहेंगे।

(vi) जो ऋण उचित दस्तावेजों से समर्थित न हों, उनसे बचना (दूर रहना) चाहिए।

(vii) जहाँ तक संभव हो, एक ही प्रकार के प्रोफाइल की आस्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया समान हो एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। आस्तियों के मूल्य के आधार पर उनका मूल्यांकन आंतरिक रूप में (स्वत:)/बाहर की एजेंसी से करवाया जा सकता है। आदर्श स्थिति होगी यदि मूल्यांकन उस समिति से करवाया जाए जिसे आस्तियों को अर्जित करने के लिए अनुमोदन देने का प्राधिकार दिया गया है जो निदेशक बोर्ड द्वारा विनिर्दष्ट अर्जन नीति के तहत इस कार्य को अंजाम देगी।

(viii) एआरसी द्वारा अर्जित आस्तियाँ एआरसी द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) को उसी मूल्य पर अंतरित की जाएंगी जिस मूल्य पर वे आस्तियों के मूलकर्ता (ओरिजिनेटर) से ली गई हों। तथापि, एआरसी द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) की बहियों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित आस्तियों को सीधे लेने पर प्रतिबंध नहीं है।

(2). प्रतिभूति रसीदें जारी करना

(i) प्रत्येक एआरसी प्रतिभूति रसीदें जारी करने के ही प्रयोजन से स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें जारी करेगी। ऐसे ट्रस्ट की न्यासधारिता एआरसी में ही निहित होगी।

(ii) ट्रस्ट प्रतिभूति रसीदें अर्हताप्राप्त क्रेताओं को ही जारी करेगा और ये केवल अन्य अर्हताप्राप्त क्रेताओं के पक्ष में ही अंतरणीय/समनुदेशनीय होंगी।

(iii) प्रतिभूति रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक एआरसी प्रस्ताव दस्तावेज में वे प्रकटीकरण करेगी जिन्हे बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(iv) [57][एआरसी और रेटिंग एजेंसी के बीच समानता और हितों का टकराव, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना चाहिए।

(v) एसआर की विशिष्ट विशेषताएँ

(ए) एसआर को कड़ाई से ऋण लिखतों के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं। तथापि, इन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(बी) अंतर्निहित आस्तियों से नकदी प्रवाह का मूल्य और अंतराल के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(सी) इन लिखतों को जब मूल्यांकित किया जाएगा तो सामान्यतः इन्हें निवेश ग्रेड से नीचे मूल्यांकित किया जाएगा। इन लिखतों को निजी रूप में रखा जाएगा।

(vi) एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग

[58](ए) प्रत्येक एआरसी आस्तियों के अधिग्रहण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर [59][सेबी पंजीकृत] सीआरए से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग/ ग्रेडिंग प्राप्त करेगी और इसके द्वारा जारी किए गए एसआर की एनएवी की तत्काल घोषणा करेगी। तत्पश्चात्, एआरसी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को पंजीकृत सीआरए से एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग की समीक्षा करवायी जाएगी और तत्काल एसआर के एनएवी की घोषणा की जाएगी, ताकि क्यूबी एसआर में अपने निवेश का मूल्य निर्धारित कर सके। [60]एआरसी कम से कम 6 रेटिंग चक्रों (प्रत्येक छमाही के) के लिए एक सीआरए बनाए रखेंगी। यदि इन 6 रेटिंग चक्रों के दौरान किसी सीआरए को बदल दिया जाता है, तो एआरसी ऐसे परिवर्तन के कारण का खुलासा करेगी। एनएवी को निर्धारित करने के लिए, एआरसी को 'रिकवरी रेटिंग स्केल' पर एसआर का मूल्यांकन करना होगा और रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग के लिए मान्यताओं और औचित्य का

[57] 28 मई 2007 को जारी दिशानिर्देश गैबैंपवि (निप्र) सीसी.सं.6/एससीआरसी/10.30.049/2006-2007 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[58] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.011/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[59] 28 मई 2007 को जारी दिशानिर्देश गैबैंपवि (निप्र) सीसी.सं.6/एससीआरसी/10.30.049/2006-2007 के माध्यम से अंतर्विष्ट।
[60] 11अक्तूबर 2022 को जारी परिपत्र डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

खुलासा करने की आवश्यकता होगी। [61]एआरसी अनिवार्य रूप से सीआरए से रिकवरी रेटिंग प्राप्त करेंगी और एसआर धारकों को रेटिंग के पीछे की मान्यताओं और तर्क का खुलासा करेंगी।

(बी) रेटिंग/ग्रेडिंग 'डिफ़ॉल्ट', जो कि सामान्य आस्तियों में रेटिंग असाइनमेंट का आधार है, की बजाय 'रिकवरी रिस्क' पर आधारित होनी चाहिए, जो, अर्थात समय पर भुगतान की जगह कितना अधिक वापस वसूला जा सकता है। रेटिंग को भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशित वसूली के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(सी) रेटिंग को "रिकवरी रेटिंग (आरआर) स्केल" नामक विशेष रूप से विकसित रेटिंग पैमाने पर निर्धारित किया जाएगा। रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त वसूली से जुड़ा एक सहयोगी रेंज होगा, जिसका उपयोग एसआर की एनएवी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। रेटिंग एजेंसियों द्वारा वसूली से संबंधित रेंज को एक चिह्न सौंपा जाना चाहिए, जो परस्पर एक निर्दिष्ट प्रतिशत अंकों यथा (+/-) 10% से विचलित नहीं होगा । उक्त रेटिंग संकेतात्मक होगी।

(डी) रिकवरी रेटिंग का मूल्यांकन किसी अन्य प्रासंगिक दायित्व को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए न कि मूल ऋण दायित्व पर।

(इ) रिकवरी रेटिंग निर्धारित करते समय जिन अन्य प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें अधिग्रहित ऋण की सीमा, ऋणदाताओं की संरचना, उपलब्ध संपार्श्विक, प्रतिभूति और ऋण की वरिष्ठता, संस्थागत ऋणदाता की तुलना में व्यक्तिगत ऋणदाता, अनुमानित नकदी प्रवाह, प्रारंभिक अवधि में अपेक्षित नकदी प्रवाह को प्राप्त करने में अनिश्चितता, प्रबंधन, व्यावसायिक जोखिम, वित्तीय जोखिम आदि शामिल हैं।

(एफ) रिकवरी रेटिंग को समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों जैसे एआरसी की समाधान रणनीति में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

[61] 11अक्तूबर 2022 को जारी परिपत्र डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(जी) रिकवरी रेटिंग एसआर की परिपक्वता तक अंतर्निहित ह्रासित आस्तियों से संभावित नकदी प्रवाह को ध्यान में रखेगी।

(एच) रिकवरी रेटिंग में न केवल समग्र रूप से योजना के एसआर की रेटिंग शामिल होनी चाहिए, बल्कि जहां भी संभव हो, योजना के प्रत्येक घटक का पृथक्करण शामिल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बास्केट बनाने वाली योजना में शामिल प्रत्येक इकाई की अंतर्निहित आस्तियों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(आई) अनुरोध किये जाने पर रेटिंग एजेंसी को रेटिंग के लिए आधार का प्रकटन करना चाहिए।

(vii) एनएवी की घोषणा के लिए एसआर के मूल्यांकन के लिए पद्धति

रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त वसूली से जुड़ा एक सहयोगी **रेंज** होगा, जिसका उपयोग एसआर की एनएवी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एनएवी, एसआर को प्रदत्त रेटिंग से संबन्धित रिकवरी रेंज के भीतर ही सीमित रहेगा। रिकवरी अनुभव के आधार पर एआरसी को रेटिंग एजेंसी से प्राप्त संकेत के आधार पर रिकवरी रेंज के भीतर एक विशिष्ट प्रतिशत का चयन करना चाहिए। इस प्रकार चयनित रिकवरी रेटिंग प्रतिशत के साथ एआरसी द्वारा एसआर के अंकित मूल्य से गुणा करने पर एनएवी प्राप्त होगा। एआरसी द्वारा रिकवरी रेटिंग के लिए किसी विशिष्ट प्रतिशत कोचयन किये जाने के तर्क का प्रकटन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि रेंज 81%-90% है तो एआरसी अपने विवेकानुसार 87% का चुनाव कर सकती है। 10 रुपए के अंकित मूल्य को रिकवरी प्रतिशत जैसे 87% से गुणा किया जाता है तो यह 8.70 रुपए की एनएवी देगा]।

परिशिष्ट I

निदेशक/ एमडी/ सीईओ द्वारा ---------- तारीख को घोषणा और वचन

नाम :

1. निदेशक/ एमडी/ सीईओ के प्रासंगिक रिश्ते

(i) रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो एआरसी से जुड़े हैं (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 77 देखें)

(ii) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उन्हें रुचि रखने वाला माना जाता है (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 49 और धारा 184 देखें)

(iii) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उसे पर्याप्त रुचि रखने वाला माना जाता है (पर्याप्त रुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार का, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, किसी कंपनी/ फर्म के शेयरों में धारित लाभकारी हित, जिस पर भुगतान की गई कुल राशि कंपनी/ फर्म की चुकता शेयर पूंजी/पूं जी के दस प्रतिशत से अधिक है)

(iv) एनबीएफसी/एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों का नाम, जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रहे हैं (उस अवधि का विवरण भी दें, जिसके दौरान ऐसा कार्यालय संभाला गया था)

(v) निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों, जो वर्तमान में उनके और/ या ऊपर 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एनबीएफसी/ एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त की जा रही हैं।

(vi) मामले, यदि कोई हों, जहां एनबीएफसी/ एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में ऊपर 1(ii) और (iii) में निदेशक या संस्थाएं चूक में हैं या अतीत में चूक कर चुके हैं।

2. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड

प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ

3. निदेशक/ एमडी/ सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो,

(i) क्या निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/ निकाय का सदस्य है? अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित अथवा शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध

अतीत में दोष सिद्ध हुआ है या उन्हें किसी भी समय किसी भी पेशे/ व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) आर्थिक कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के उल्लंघन के लिए निदेशक और/ या उपर्युक्त 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध पूर्व में लंबित या शुरू होने वाले या दोषसिद्ध होने के परिणामस्वरूप अभियोजन का विवरण दें।

(iii) निदेशक के खिलाफ पिछले पांच वर्षों में लंबित या निकट भविष्य में शुरू होने वाले या दोषसिद्ध होने के परिणामस्वरूप आपराधिक मुकदमा चलने का विवरण दें, यदि कोई हो,

(iv) क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

(v) क्या उपर्युक्त 1(ii) और 1(iii) में निदेशक अथवा कोई भी इकाई किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने के अनुसार किसी जांच के अधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

(vi) क्या निदेशक को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

(vii) क्या निदेशक किसी भी समय नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए, आदि के प्रतिकूल नोटिस में आया है?

(viii) क्या निदेशक को पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है?

(ix) क्या निदेशक अभी भी इरादतन चूककर्ता की सूची में शामिल है?

4. कोई अन्य स्पष्टीकरण/ सूचना जो निदेशक/ एमडी/ सीईओ के 'उचित और उपयुक्त' निर्णय के लिए प्रासंगिक मानी जाती हो

प्रतिज्ञा पत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं एआरसी के बोर्ड को मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो ऊपर प्रदान की

गई जानकारी से प्रासंगिक हैं, के बारे में जल्द से जल्द पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता/ देती हूं ।

* मैं एआरसी के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक 'संविदा विलेख' को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

* केवल निदेशकों के लिए लागू

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की उपरोक्त जानकारी के सत्य और पूर्ण होने पर संतुष्टि की टिप्पणी ।

स्थान : एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

दिनांक : नाम :

परिशिष्ट II

निदेशक के साथ किए जाने वाले अनुबंध के विलेख का प्रपत्र

अनुबंधों का यह विलेख इस____ दिनांक _____ साल दो हज़ार_____को, _____जो एक पक्ष के रूप में कार्यरत है (इसके बाद इसे 'एआरसी' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है और दूसरे पक्ष के रूप में श्री/ सुश्री _____हैं, (जिन्हे आगे 'निदेशक' कहा जाएगा) के बीच बनाया गया है।

जबकि

ए. निदेशक को एआरसी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है (इसके बाद इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा) और उनकी नियुक्ति की अवधि के रूप में, उन्हें एआरसी के साथ एक अनुबंध विलेख करना आवश्यक है।

बी. निदेशक अपनी उक्त नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अनुबंध के इस विलेख में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब एतद्द्वारा सहमति दी गई है और अनुबंधों का यह विलेख इस प्रकार है :

1. निदेशक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि एआरसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति लागू कानूनों और विनियमों के अधीन है, जिसमें एआरसी के ज्ञापन और आलेख (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स) और इस अनुबंध के विलेख के प्रावधान शामिल हैं।

2. निदेशक द्वारा एआरसी के साथ अनुबंध किया जाता है कि:

(i) निदेशक अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों का बोर्ड को खुलासा करें, यदि एआरसी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच दर्ज प्रस्तावित अनुबंध अथवा अनुबंध में उनकी कोई रुचि हो या उनके विचारधीन हो। इसके बारे में पता चलने पर तुरंत या फिर बोर्ड की बैठक, जिसमें इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जाना हो या यदि निदेशक संबंधित बैठक की तारीख पर मौजूद नहीं थे तो बोर्ड की पहली बैठक में जो उनके विचारधीन/ इच्छुक होने के बाद हुई, आवश्यक प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है और किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के

मामले में, निदेशक के विचारधीन होने या इच्छुक होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।

(ii) निदेशक बोर्ड को अपने अन्य निदेशक पदों, कारपोरेट निकायों में उसकी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उसकी रुचि और फर्मों के एक भागीदार या मालिक के रूप में उसकी रुचि के बारे में सामान्य सूचना के द्वारा खुलासा करेगा और बोर्ड को उसमें होने वाले सभी परिवर्तनों से अवगत कराता रहेगा।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित परिभाषा के अनुसार निदेशक एआरसी को अपने रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा और जहां तक उसे ज्ञात हो ऐसे रिश्तेदारों के अन्य कारपोरेट, फर्मों और अन्य संस्थाओं में निदेशकत्व और हितों से अवगत कराता रहेगा।

(iv) निदेशक एआरसी के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय:

ए) इस प्रकार के कौशल के स्तर का प्रयोग करें जैसा किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव के अनुसार अपेक्षितहो।

बी) अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में इस तरह कार्य करें जिसकी उचित रूप से उसकी ओर से किए जाने की उम्मीद की जा सकती है और उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग सद्भावपूर्वक और एआरसी के हितों में करें।

सी) एआरसी के व्यवसाय, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में खुद को उस सीमा तक सूचित रखें, जिस हद तक उसे बताया गया है।

डी) बोर्ड और उसकी समितियों (सामूहिक रूप से संक्षिप्तता के लिए जिसे इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है) की बैठकों में निष्पक्ष नियमितता के साथ भाग लें और एआरसी के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करें।

ई) एआरसी के हितों के अलावा किसी अन्य विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करें।

एफ़) एआरसी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के सामने लाए गए सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लें, जिसमें सांविधिक अनुपालन, प्रदर्शन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियां और आचरण के मानक शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक

सीमित नहीं हैं। जी) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय के प्रयोग में किसी भी व्यवसाय या अन्य संबंध से मुक्त रहें जो उनके स्वतंत्र निर्णय के अभ्यास में हस्तक्षेप कर सकता है।

एच) अपने स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर बिना किसी भय या पक्षपात के और बिना किसी प्रभाव के बोर्ड की बैठकों में अपने विचार और राय व्यक्त करें।

(v) निदेशक को करना होगा:

ए) सद्भावना और एआरसी के हितों में और ना की किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्य करने का प्रत्ययी कर्तव्य

बी) एआरसी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम और लागू विधिक और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य करने का कर्तव्य; और

सी) एआरसी के व्यवसाय की उचित समझ हासिल करने का कर्तव्य

(vi) निदेशक:

ए) बोर्ड द्वारा उन्हे सौंपे गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से नहीं बचें;

बी) पूर्णकालिक निदेशकों और एआरसी के अन्य अधिकारियों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंऔर जहां भी निदेशक के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण होगा, वह तुरंत बोर्ड को अपने विचार व्यक्त करें; तथा

सी) बोर्ड के सदस्य के रूप में दी गई जानकारी का अपने स्वयं के लाभ या किसी और के लाभ के लिए अनुचित उपयोग नहीं करें और एआरसी द्वारा उन्हे दीगई जानकारी का उपयोग एआरसी के निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में केवल एक निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए करें, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

3. एआरसी ने निदेशक के साथ अनुबंध किया है कि:

(i) एआरसी निदेशक को इस बारे में अवगत कराएगी:

ए) निदेशक के विधिक और अन्य कर्तव्यों की पहचान और सांविधिक दायित्वों के साथ आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं

बी) नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं

सी) ऐसे मामले जिनमें निदेशक को उनकी रुचि के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना चाहिए

डी) योग्यता आवश्यकताओं और संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियमों की प्रतियां

ई) व्यावसायिक नीतियां और प्रक्रियाएं

एफ) भेदिया लेन-देन प्रतिबंध

जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, अधिकार का प्रत्यायोजन और संदर्भ की शर्तें

एच) वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार

आई) पारिश्रमिक नीति

जे) बोर्ड की समितियों के विचार

के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, लागू विनियमों में परिवर्तन जिसमें एआरसी के ज्ञापन और अंतर्नियम, प्राधिकारों का प्रत्यायोजन, वरिष्ठ कार्यपालक आदि शामिल हैं।

(ii) एआरसी निदेशक सहित बोर्ड को सभी जानकारी प्रकट और प्रदान करेगी जो एआरसी के निदेशक के रूप में उनके कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने और बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा बोर्ड के विचारार्थ या निदेशक को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेंने के लिए उचित रूप से आवश्यक है ।

(iii) एआरसी द्वारा निदेशकों को किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

ए) बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी

बी) एआरसी की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाएं और पूर्वानुमान

सी) एआरसी की संगठनात्मक संरचना और प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल

डी) प्रक्रियाओं सहित व्यवसायिक और प्रबंधन नियंत्रण और प्रणाली

ई) आर्थिक विशेषताएं और विपणन परिवेश

एफ) प्रमुख व्यय पर सूचना और अद्यतन

जी) एआरसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा

एच) रणनीतिक पहल और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट

(iv) एआरसी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड के विचार-विमर्श के परिणामों के बारे में बताएगी और बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को समयबद्ध तरीके से और जहां तक संभव हो, बोर्ड बैठक के समापन की तारीख के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर तैयार और निदेशकों को प्रसारित करेगी।

(v) निदेशक को बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में प्रत्यायोजित अधिकार के स्तरों के बारे में सूचित करेगी।

4. एआरसी निदेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के कामकाज और उनकी प्रभावशीलता पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

5. निदेशक किसी तीसरे पक्ष को एआरसी के निदेशक के रूप में अपने कार्यालय और अपने अधिकारों और दायित्वों को समनुदेशित, अंतरित, सबलेट या भारित नहीं करेंगे, बशर्ते कि यहां निहित कुछ भी एआरसी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम सहित लागू विधियों और विनियमों के अधीन बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा किसी भी प्राधिकरण, शक्ति, कार्य या प्रतिनिधिमंडल के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

6. किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी दायित्व या कर्तव्य का प्रदर्शन करने, निर्वहन करने, पालन करने या अनुपालन करने में विफलता को इस विलेख से छूट नहीं माना जाएगा न ही यह उसके बाद किसी भी समय या समय पर उसके प्रदर्शन, पालन, निर्वहन या अनुपालन के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करेगा।

7.अनुबंध के इस विलेख में कोई भी संशोधन और/ या पूरक और/ या परिवर्तन केवल तभी मान्य और प्रभावी होंगे जब निदेशक और एआरसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हों।

8. अनुबंधके इस विलेख को दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियों को मूल माना जाएगा।

जिसके साक्ष्य में पार्टियों ने इस अनुबंध को उपर्युक्त दिन, माह और वर्ष को विधिवत निष्पादित किया है।

एआरसी के लिए	**निदेशक**
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
नाम:	नाम:
पदनाम:	
दिनांक:	

के समक्ष:

1.

2.

जारी अधिसूचनाओं की सूची

1. 7 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 1/सीजीएम(सीएसएम)/2003
2. 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003
3. 28 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.3/सीजीएम(ओपी)/2003
4. 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 4/ईडी(एसजी)/2004
5. 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 5/सीजीएम(पीके)/2006
6. 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 6/सीजीएम(पीके)/2006
7. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. नीति प्रभा.(एससी/आरसी)7/सीजीएम(एएसआर) 2010
8. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा.(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर)-2010
9. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा.(एससी/आरसी)9/सीजीएम(एएसआर)-2010
10. 23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)10/पीसीजीएम(एनएसवी)-2014
11. 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)11/पीसीजीएम(केकेवी)-2014
12. 07 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)12/पीसीजीएम(केकेवी)-2014
13. 24 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)01/सीजीएम(सीडीएस)-2015
14. 07 मई 2015 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)02/सीजीएम(सीडीएस)-2015
15. 28 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीप्र-एआरसी) 05/ईडी(एसएस)-2017

जारी परिपत्रों की सूची

1. 23 अप्रैल 2003 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.1/एससीआरसी/10.30/2002-03
2. 29 मार्च 2004 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.2/एससीआरसी/10.30/2002-03
3. 20 सितम्बर 2006 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.3/एससीआरसी/10.30.000/2006-07
4. 19 अक्तूबर 2006 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.4/एससीआरसी/10.30.000/2006-07
5. 25 अप्रैल 2007 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.5/एससीआरसी/10.30/2006-07
6. 28 मई 2007 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.6/एससीआरसी/10.30.049/2006-07
7. 05 मार्च 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08
8. 22 अप्रैल 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.9/एससीआरसी/10.30.000/2007-08
9. 26 सितम्बर 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.12/एससीआरसी/10.30.000/2008-09
10. 22 अप्रैल 2009 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.13/एससीआरसी/26.03.001/2002-03
11. 24 अप्रैल 2009 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.14/एससीआरसी/26.01.001/2008-09
12. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.17/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
13. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.18/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
14. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.19/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
15. 25 नवम्बर 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.23/एससीआरसी/26.03.001/2010-2011
16. 25 मई 2011 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.24/एससीआरसी/26.03.001/2010-2011
17. 31 दिसम्बर 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 34/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
18. 23 जनवरी 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
19. 19 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 36/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
20. 19 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 37/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
21. 23 अप्रैल 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
22. 05 अगस्त 2014 का गैबैंपवि(नीप्रकंपरि.सं.41/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
23. 07 अगस्त 2014 का गैबैंपवि(नीप्रकंपरि.सं.42/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
24. 24 फरवरी 2015 का गैबैंविव (नीप्रकंपरि.सं.01/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
25. 07 मई 2015 का गैबैंविव (नीप्रकंपरि.सं.02/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
26. 01 जुलाई 2015 को जारी गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.03/एससीआरसी/26.03.001/2015-16
27. 01 जुलाई 2015 को जारी गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.04/एससीआरसी/26.03.001/2015-16

28. 28 अप्रैल 2017 को जारी गैबैंविव .नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.03/26.03.001/2016-17
29. 23 नवंबर 2017 को जारी गैबैंविव .नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.04/26.03.001/2017-18
30. 04 जनवरी 2018 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.05/26.03.001/2017-18
31. 25 अक्तूबर 2018 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.06/26.03.001/2018-19
32. 28 जून 2019 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19
33. 06 दिसंबर 2019 को जारी विव .एनबीएफ़सी(एआरसी)कंपरि.सं.08/26.03.001/2019-20
34. 16 जुलाई 2020 को जारी विव .एनबीएफ़सी(एआरसी)कंपरि.सं.09/26.03.001/2020-21
35. 11 अक्तूबर 2022 को जारी डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23